न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री राजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 113/2023 (GCMS No. 2023/121) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. गंगालहरी पुत्र ज्वाला जाति अहीर निवासी वाघाका तहसील नगर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नगर जिला भरतपुर।

.....उत्तरवादी

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग दिनांक 27.04.2015 मुकदमा नं. 5/2015 उनवानी गंगालहरी बनाम राजस्थान सरकार।

उपस्थिति:–

1. अपीलांट की ओर से श्री महाराजसिंह डागुर, वकील।

नि र्ण य

दिनांक : 26.06.2024

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग के आदेश दिनांक 27.04.2015 एवं तहसीलदार नगर के आदेश दिनांक 20.06.2014 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से 299 गैर मुमकिन मरघट भूमि पर कूडा, लकडी, बिटोरा आदि रखकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार नगर के समक्ष पेश की। तहसीलदार नगर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2014 से अपीलार्थी को पैनल्टी व बेदखली के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसकी अपील अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग के समक्ष पेश की। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग द्वारा अपीलार्थी की अपील अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दी। जिनके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आया।
3. अपीलांट के अभिभाषक को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट का विवादित आराजी खसरा नम्बर 299 रकबा 1.16

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

हैक्टे. वांके ग्राम वाघाका तहसील नगर पर कब्जा है वह भूमि मरघट की नहीं है। राजस्व अभिलेख में उसे मरघट गलत दर्ज किया हुआ है। मौके पर मरघट के नाम खसरा नम्बर 298 की भूमि काम आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी को मरघट मानकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि की है। विवादित भूमि पर अपीलांट का बहुत पुराना कब्जा है जिस पर अपीलांट का गैत वाडा बना हुआ है, जो ईंधन रखने व पशु बॉधने के काम आ रहा है। विवादित आराजी आबादी क्षेत्र में है। आबादी क्षेत्र की भूमि पर 91 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्धारण प्रक्रिया का पालन नहीं किया। मौके पर विवादित आराजी की कोई पैमाईश नहीं कराई गई है। खसरा नम्बर 299 व 298 पास–पास है और दोनों ही सिवायचक अंकित हैं। शमशान खसरा नम्बर 298 में न दर्शाकर 299 में दर्शाया गया है जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश नियमों के विपरीत पारित किया गया है। अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया और न ही कोई जॉच की गई। अपीलांट के साथ ही अन्य बीसों लोगों के विवादित आराजी ख.नं. 299 पर गैत वाडे बने हैं जिनका मौके पर बहुत पुराना कब्जा है। जो वाडे के लिए नियमन किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का से विवादित आराजी की मौके की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की और न ही कब्जे की जॉच की गई कि कितना पुराना कब्जा है। किसी प्रकार की कोई साक्ष्य भी नहीं ली गई और अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग दिनांक 27.04.2015 एवं तहसीलदार नगर दिनांक 20.06.2014 निरस्त फरमाये जावें।

5. विद्वान वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नगर द्वारा अपीलांट को आराजी ख.नं. 299 गैर मुमकिन मरघट पर अतिक्रमण मानते हुये पैनल्टी बेदखल करने के दण्ड से दण्डित किया। उक्त आदेश के विरूद्व अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग में अपील पेश की। अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग द्वारा अपीलाधीन आदेश में अंकित किया है कि " पटवारी हल्का द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सम्वत् 2071 के बावत् रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि आराजी ख.नं. 299 कुल रकवा 1.16 किस्म जमीन गै. मु. मरघट के रकवा 0.02 पर गंगालहरी पुत्र ज्वाला जाति अहीर निवासी बाघाका द्वारा बिटौरा, फैडे घूडी डालकर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट पर गिरदावर हल्का के हस्ताक्षकर भी मौजूद हैं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहत न्यायालय द्वारा अतिक्रमी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

को नोटिस जारी किया जाना प्रकट है। अति0 द्वारा तहत न्यायालय में अपना जवाब प्रस्तुत किया जाना प्रकट है। अति0 का यह कहना कि उन्हें सुना नहीं गया है साक्ष्य आदि का अवसर नहीं दिया गया है। असत्य है। आराजी की किस्म गै. मु. मरघट है उक्त आराजी सार्वजनिक उपयोग व उपभोग की आराजी है। उक्त आराजी पर किसी के द्वारा अतिक्रमण किया जाना न्यायसंगत नहीं है। तहत न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किए गए हैं वह उचित है।"

6. इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों में अपीलांट का गैर मुमकिन मरघट की भूमि पर अतिक्रमण साबित हुआ है। अपीलांट द्वारा अतिक्रमण नहीं होने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे अपीलांट का अतिक्रमण नहीं होना माना जा सके। अतिक्रमण से अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वकील अपीलांट की दलीलों से हम सहमत नहीं है। ऐसे में अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से हमारी राय में उनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

7. फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नगर का आदेश दिनांक 20.06.2014 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग का आदेश दिनांक 27.04.2015 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/6/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर